न्यायालय सहायक कलक्टर जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर०ए०एस०)

राजस्व वाद संख्या- 117/2018

1- शुभकरणराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी अड़सिंगा तहसील जायल जिला नागौर।

..................वादी

बनाम

1- रामदेवराम पुत्र गणेशाराम

2- गणेशाराम पुत्र खेमाराम

3- रूकमादेवी पत्नी गणेशराम जातियान जाट निवासी तरनाऊ तहसील जायल जिला नागौर।

4- सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:-

1- अधिवक्ता श्री चन्द्राराम बिडियासर वादी की ओर से।

2- अधिवक्ता श्री एम. आर. मालोदिया प्रतिवादी सं. 01 से 03 की ओर से।

-: निर्णय :-

दिनाक : 14.08.17

वादी वादीगण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादी व प्रतिवादीगण के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा खियाला के खेत खसरा नम्बर 251 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खेत खसरा न. 770 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा, खेत खसरा न. 773 रकबा 07 बीघा व मौजा अडसिंगा के खेत खसरा न. 250 रकबा 10 बीघा, खेत खसरा नं 564/171 रकबा 01 बीघा, खेत खसरा न. 146 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा एवं खेत खसरा न. 24 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुबानी बटवाडा सम्वत 2070 को आखातीज को कर लिया है। बटवाडा स्कीम निम्न प्रकार है-

1. यह है कि वादी शुभकरणराम के हक बट कब्जाकास्त व खातेदारी मे वाके मौजा खियाला के खेत खसरा न 770 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा पूरा खेत रखा गया है।
2. प्रतिवादी स. 01 रामदेवराम के हक बट कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा अडसिंगा के खेत खसरा न. 146 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा पूरा खेत एवं मौजा खियाला के खेत खसरा नं. 251 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा पूरा खेत रखा गया है।
3. यह है कि प्रतिवादी सं. 02 व 03 गणेशराम व रूकमादेवी के शेष खेतात यथावत रखे जाते है।

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादी है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क, ख एवं ग के अनुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 से 03 की ओर से वकील श्री एम.आर. मालोदिया ने इकबाली जवाब प्रस्तुत किया।

वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 से 03 के बीच राजीनामा एव सहमति होने के कारण वाद मे विवाधक बिन्दु तय नही किये गये। प्रकरण मे विद्वान अधिवक्ताओं वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण सं. 01 से 03 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल (नागौर)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारो मे राजीनामा एवं सहमति होने के कारण सहमति के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :–

1. यह है कि वादी शुभकरणराम के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा खिंयाला के खेत खसरा नं. 770 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा पूरा खेत रखा गया है।
2. प्रतिवादी सं. 01 रामदेवराम के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा अडरिंगा के खेत खसरा नं. 146 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा पूरा खेत एवं मौजा खिंयाला के खेत खसरा नं. 251 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा पूरा खेत रखा गया है।
3. यह है कि प्रतिवादी सं. 02 व 03 गणेशराम व रूकमादेवी के शेष खेताय यथावत रखे जाते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर जायल
सहायक क
(एस. डी. ओ.) जायल

निर्णय आज दिनांक 15.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर जायल
सहायक कल.
(एस. डी. ओ.) प्रथम जायल

Scanned by CamScanner